

2012  
विधि-II  
(साक्ष्य एवं प्रक्रिया)  
LAW-II  
(Evidence and Procedure)

निर्धारित समय : तीन घण्टे]

[ पूर्णांक : 200

Time allowed : Three Hours]

[Maximum Marks : 200

नोट : (i) अभ्यर्थी को प्रश्न क्रमांक 1 और चार अन्य प्रश्न करने हैं। प्रत्येक खण्ड से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न के सभी भागों का उत्तर अनिवार्यतः एक साथ दिया जाए।

(ii) प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं। हालाँकि सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

Notes : (i) Candidates should attempt Question No. one and four more. At least one question must be attempted from each section, in all five questions are to be answered. The parts of same question must be answered together.

(ii) Marks carried by each question have been indicated against the question. However, all questions carry equal marks.

1. (अ) ब्योरा देते हुए विद्वेषपूर्ण अभियोजन के हर्जाने के वाद के वादपत्र का प्रारूप बनाइये। 30  
(ब) ऊपर के प्रश्न संख्या 1 (अ) में वर्णन किये गये वादपत्र के जवाब में लिखित कथन का प्रारूप लिखिए। 10  
(a) Draft a plaint giving details, in suit for the recovery of damages for malicious prosecution.  
(b) Draft a written statement in reply to the above plaint in Question No. 1(a).

अथवा/OR

एक अभियुक्त को उपयुक्त आरोप लगाकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 (स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना) के अपराध का दोषसिद्ध करते हुए एक निर्णय लिखिए। 40

Write a judgment convicting the accused for an offence under Section 325 Indian Penal Code (Voluntarily causing grievous hurt) after framing appropriate charge for the offence.

खण्ड – अ

SECTION – A

2. (अ) किसी सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी व्यादेश कब स्वीकृत किया जा सकता है? 10  
(ब) अन्तर-अभिवचनीय वाद क्या होता है? यह कब और किसके द्वारा दायर किया जा सकता है? 10  
(स) किन परिस्थितियों में प्रतिवादी की सम्पत्ति वाद के निर्णय के पहले ही कुर्क की जा सकती है? 10  
(द) प्रतिनिधि वाद क्या होता है? किनके द्वारा और किन परिस्थितियों में ऐसा वाद लाया जा सकता है? 10

- (a) When can a temporary injunction be granted by a Civil Court ?
- (b) What is an interpleader suit ? When and by whom can it be instituted ?
- (c) In what circumstances can the property of defendant be attached before judgement ?
- (d) What is a representative suit ? By whom and under what circumstances can such a suit be filed ?
3. (अ) उन प्रावधानों का वर्णन कीजिए जो वाद दायर करने के स्थान का निर्धारण करते हैं ? अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण दीजिए । 20
- (ब) एक अर्किचन वाद कौन दायर कर सकता है ? 10
- (स) सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन उच्च न्यायालय का सन्दर्भ और पुनरीक्षण के आधार, प्रक्रिया और शक्तियों का विश्लेषण कीजिए । 10
- (a) State the provisions which govern the determination of place of suing. Support your answer with the illustrations.
- (b) Who can file a pauper suit ?
- (c) Analyse the grounds, procedure and powers of the High Court in relation to reference and revision under Civil Procedure Code.
4. आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कोई वाद दीवानी प्रकृति का है ? विवेचना कीजिए । क्या निम्नलिखित दीवानी प्रकृति के वाद हैं ? 10
- (i) धार्मिक जुलूस निकालने का अधिकार 10
- (ii) पर्दानशीन महिलाओं का पर्दा रखने का अधिकार 10
- (iii) वोट देने का अधिकार 10
- How will you decide that a suit is of civil nature ? Discuss. Are the following suits of civil nature ?
- (i) Right to take out religious procession.
- (ii) Right of a Pardanashin lady to observe Parda.
- (iii) Right to vote.
5. (अ) प्रारम्भिक डिक्री और अन्तिम डिक्री को परिभाषित कीजिए तथा उनके मध्य अन्तर बताइये । 20
- (ब) सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत समय का बढ़ाये जाने तथा केवियट दायर करने के अधिकार की व्याख्या कीजिये । 20
- (a) Define and distinguish between preliminary and final decree.
- (b) Explain the enlargement of time and right to lodge a Caveat as prescribed under Civil Procedure Code.

#### खण्ड – ब

#### SECTION – B

6. विधिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुये निम्नलिखित की वैधता का परीक्षण कीजिए ।
- (अ) जहाँ अन्वेषण कार्यवाही 24 घण्टे में पूरी नहीं की जा सकती थी पुलिस अफसर अभियुक्त को एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदत्त है, के समक्ष प्रस्तुत करता है । ऐसा मजिस्ट्रेट अभियुक्त को 10 दिनों तक पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश पारित करता है । 10
- (ब) एक मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया में दोषसिद्धि के आधार पर चार माह के कारावास के दण्ड का आदेश देता है । 10

- (स) जमानतीय अपराध करने की शिकायत पर गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस अधिकारी जमानत पर नहीं छोड़ता यद्यपि ऐसा व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है । 10
- (द) बिना युक्तिसंगत आधार के अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद लाने के कारण मजिस्ट्रेट अभियुक्त के पक्ष में क्षतिपूर्ति आदेश पारित करता है । क्षतिपूर्ति न दिये जाने की चूक में 60 दिन के कारावास के दण्ड का आदेश पारित करता है । 10

Referring to statutory provisions, discuss the validity of the following :

- (a) Where investigation cannot be completed within 24 hours the police officer produces the accused before an Executive Magistrate upon whom the power of Judicial Magistrate has been conferred. Such Magistrate remands the accused to 10 days police custody.
- (b) A Magistrate in a summary trial proceeding on conviction passes sentence order for 4 month's imprisonment.
- (c) A person arrested on accusation of bailable offence is not released on bail by the police officer, though the person is ready to furnish bail.
- (d) For complaint against the accused without reasonable cause Magistrate orders payment of compensation in favour of accused. For default in payment of compensation passes an order of sentence for 60 days imprisonment.
7. (अ) 'आरोप' को परिभाषित कीजिए तथा आरोप की अन्तर्वस्तुओं का विवरण दीजिए । 10
- (ब) क्या त्रुटिपूर्ण आरोप दोषसिद्धि के लिए अनिवार्य रूप से घातक है ? 10
- (स) क्या न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है ? यदि हाँ, तो कैसे और किस स्तर तक ? 10
- (द) वे मामले कौन से हैं जिनमें एक अभियुक्त ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है जिसका उस आरोप पत्र में उल्लेख नहीं है जिस पर उसका विचारण किया गया है ? 10
- (a) Define 'charge' and enumerate the contents of charge.
- (b) Is a defective charge necessarily fatal to conviction ?
- (c) Can a Court alter charge ? If so, how and upto what stage ?
- (d) What are the cases in which an accused person may be convicted of an offence which is not specified in the charge sheet on which he has been tried ?
8. (अ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत मुख्यपरीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनःपरीक्षा के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए । उनके उद्देश्य का संक्षेप में उल्लेख कीजिए । 20
- (ब) निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : 20
- (i) अनुश्रुत साक्ष्य
- (ii) प्रतिकूल साक्षी
- (iii) सूचक प्रश्न
- (iv) लोक दस्तावेज
- (a) Explain the scope of examination in chief, cross examination and re-examination under the Indian Evidence Act. State briefly their objects.
- (b) Write short notes on the following :
- (i) Hearsay evidence
- (ii) Hostile witness
- (iii) Leading question
- (iv) Public document

9. (अ) एक अपराध विचारण में अभियोजन अभियुक्त के बुरे शील का साक्ष्य प्रस्तुत करता है । अभियुक्त अभियोजन के साक्ष्य की ग्राह्यता का इस आधार पर विरोध करता है कि उसने अपने अच्छे शील का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । निर्णय कीजिए । 10
- (ब) दहेज हत्या के अपराध के लिए 'क' का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख के अन्तर्गत किया जाता है । अभियोजन को सलाह दीजिए कि ऐसे कौन से साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-ख के अन्तर्गत उपधारणा उत्पन्न हो जाए । 10
- (स) निम्नलिखित मामलों में जो तथ्य साबित किए जा रहे हैं क्या वे सुसंगत हैं ?
- (i) 'अ' को 'ब' की हत्या किए जाने के आशय से उस पर गोली चलाने के लिए अभियोजित किया गया है । अभियोजन इस आशय को साबित करने के लिए इस तथ्य को साबित करना चाहता है कि इसके पूर्व भी 'अ' ने 'ब' पर गोली चलायी थी । 10
- (ii) 'अ' को बलवा करने के लिए विचारित किया जा रहा है और यह साबित किया जा चुका है कि वह भीड़ के आगे-आगे चल रहा था । अभियोजन यह साबित करना चाहता है कि भीड़ चिल्ला रही थी । 10
- (a) In a trial for an offence, the prosecution adduces evidence of bad character of the accused. The accused objects to the admissibility of prosecution evidence on the ground that he has not given evidence of his good character. Decide.
- (b) 'A' is tried for the offence of dowry death under Section 304-B of the Indian Penal Code. Advise the prosecution as to what evidence is required to be produced so as to raise the presumption under Section 113-B of the Indian Evidence Act, 1872.
- (c) Point out whether in the following cases the facts sought to be proved are relevant.
- (i) 'A' is charged with shooting at 'B' with intent to kill him. In order to prove A's intention the prosecution wants to prove the fact that 'A' has to earlier shot on 'B'.
- (ii) A is tried for rioting and is proved to have marched at the head of mob; the prosecution wants to prove that the mob was shouting.
10. (अ) संस्वीकृति क्या है ? न्यायिक और न्यायिकेत्तर संस्वीकृति में अन्तर कीजिए । 15
- (ब) 'पुलिस अभिरक्षा में एक अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है', इस नियम के अपवाद का वर्णन कीजिए । 15
- (स) 'A' एक महिला, जिसका गला किसी तेज धारदार आयुध (हथियार) से काट दिया गया था, ने अपनी मृत्यु के पहले इशारों से यह बताया कि वह व्यक्ति 'B' था जिसने उसका गला काटा है । क्या 'A' का यह इशारों द्वारा दिया गया बयान 'B' के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य है ? 10
- (a) What is confession ? Distinguish between judicial and extra judicial confession.
- (b) State the exception to the rule that 'confession by an accused in police custody is not admissible in evidence.'
- (c) 'A' an woman whose throat had been cut by some sharp edged weapon indicated by gesture before her death that 'B' was the person who has cut her throat. Is this statement of 'A' made by gestures admissible as evidence against 'B' ?